

उत्तराखण्ड शासन  
ग्राम्य विकास अनुभाग  
संख्या- १०३ / XI / 14 / 56 (11) 2011 टी 0 सी 0-2  
देहरादून दिनांक- १९ मार्च, 2014

शुद्धि पत्र

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या-211 / XI / 14 / 56 (11) 11 टी 0 सी 0-2, दिनांक-13 फरवरी, 2014 के क्रमांक-10 पर जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ के स्थान पर त्रुटिवश रामनगर अंकित हो गया था, जिसे अब रामगढ़ पढ़ा जाय। तदनुसार कार्यालय आदेश संख्या-211 / दिनांक-14 फरवरी, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शासनादेश की अन्य शर्तें / प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।


(विनोद फोनिया)  
सचिव।

संख्या १०३ / XI / 14 / 56 (11) 2011 टी 0 सी 0-2 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त परियोजना निदेशक / जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. परियोजना निदेशक, समेकित आजीविका सहयोग परियोजना इकाई, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना  
(UGVS)

पंजीकरण संख्या ..... 1059 .....  
दिनांक ..... 20.03.2013 .....  
पत्रावली संख्या ..... 2 (16) .....  
शाखा ..... CPM .....

आज्ञा से,  
  
(एस 0 पी 0 सिंह)  
अनु सचिव।